संख्या- 8/1959/बयालिस-2014-03(बजट)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषक,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : जनवरी, 2015**

विषय- जनपद- सोनभद्र के विशिष्ट स्टेडियम में तीरन्दाजी शूटिंग शेड, वालीबाल कोर्ट की फेन्सिंग एवं एल0ई0डी0 फ्लट लाईट तथा अन्य अति आवश्यक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1007/नि0 सोनभद्र स्टे0 पत्रा0/2012-13, दिनांक 03.01.2014 एवं पत्र संख्या- जी0- 332/नि0 सोनभद्र स्टे0 पत्रा0/2014-15, दिनांक 04.08.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम में तीरन्दाजी शूटिंग शेड, वालीबाल कोर्ट की फेसिंग एवं एल0ई0डी0 फ्लड लाईट तथा अन्य अति आवश्यक निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 156.71 लाख (रू0 एक करोड़ छप्पन लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय अनुमोदन एवं अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत विशिष्ट स्टेडियम निर्माण योजना में बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2014-15 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्यों को पूर्णगुणवत्ता/मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृति धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4)- परियोजना की लागत में टाईम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जायेगा।

(5)- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा। प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/जनजाति सब प्लान से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण- 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश संख्या- 417/26-ब0प्र0-2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभग' 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर 2(6)(घ) में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 1959(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(5)- उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियमंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
(9)- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
(10)- नियोजन अनुभाग- 4
(11)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, सोनभद्र, विंध्याचल मण्डल।
(12)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in